राजस्थान सरकार
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
जोधपुर 342304 राजस्थान, भारत

ई–निविदा 06/2025–26

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा Furniture for CoA Sumerpur Hostel की खरीद के लिए ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण एवं जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

UBN NO. : **JAU2526GSOB00102** EPROC ID: 2025_AGUJD_502488_1

नियंत्रक(वित्त)
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

राजस्थान सररकार
कार्यालय वित्त नियंत्रक
कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर

मण्डोर रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर–342304 राजस्थान
फोन नं. 0291–2570711 / ई–मेल comptrollerfin@gmail.com

क्रमांकः–F.3 ()Acctts/AU/Jodh/2025-26/ 352 **Date -** 18.09.2025

ई–बोली सूचना संख्या 06 / 2025–2026

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित उपापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में इच्छुक बोलीदाताओं/ प्रतिष्ठित अनुभवी एवं अधिकृत कम्पनियों/फर्मों ई–उपापन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नानुसार बोलियां आंमत्रित की जाती है।

क्र सं	उपापन की जाने वाली विषय वस्तु का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली दस्तावेज शुल्क (अप्रतिदेय) रूपयों में	बोली प्रकिया शुल्क (अप्रतिदेय) रूपयों में	बोली डाउनलोड प्रारम्भ व प्रस्तुति की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने एवं कॉलम सं. 4, 5, 6, में अंकित दस्तावेज शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Furniture for CoA, Sumerpur Hostel	8.50 लाख	बोली प्रतिभूति 2 % = 17000 (RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार)	590	500	18.09.2025 04.00 PM से	25.09.25 3:00 PM	25.09.25 4:00PM

आवश्यक शर्तें एवं निर्देशः–

1. बोली आनलाईन प्रस्तुत करने तथा कॉलम संख्या 4,5,6 में वर्णित दस्तावेज व शुल्क भौतिक रूप से जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय कॉलम संख्या 08 के अनुसार रहेगी।
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम **42(2) बोली प्रतिभूति** के अन्तर्गत “**राजस्थान के लघु उद्योगों** की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी” उपरोक्तानुसार फर्म अगर **राजस्थान के लघु उद्योगों में सम्मिलित है तो धरोहर राशि कॉलम संख्या 3 की 0.5 प्रतिशत होगी और अगर फर्म राजस्थान के लघु उद्योगों में सम्मिलित नहीं है तो धरोहर राशि कॉलम 4 के अनुसार होगी।** यदि बोलीदाता फर्म के द्वारा घरोहर राशि नहीं जमा कराई जाती है तो उक्त बोलीदाता की बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. विभिन्न बोलियों के संबंध में विस्तृत शर्ते एवं अन्य विवरण कार्यालय समय में कार्यालय तथा उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। बोली www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर www.eproc.rajasthan.gov.in प्रस्तुत की जा सकती है।
4. ऑनलाईन बोली प्रक्रिया में वे ही संवेदक भाग ले सकेंगे जिनके पास Digital Signature Certificate होने के साथ ही उक्त वेबसाईट पर पंजीकृत होंगे।

5. किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा शुद्धिकरण की नवीनतम जानकारी हेतु बोली डाउनलोड करने वाले बोलीदाता नियमित रूप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।
6. कार्यादेश में वर्णित संस्थाओं में आपूर्ति कार्यादेश में वर्णित अवधि/दिवस में करनी होगी अन्यथा नियमानुसार एल.डी. चार्जेज की कटौती की जायेगी।
7. निर्धारित तिथियों को राजकीय अवकाश होने पर बोली उसके अगले कार्यदिवस को उक्त निर्धारित समय पर खोली जायेगी।
8. राज्य में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। अतः बोली पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।
9. किसी भी बोली को पूर्ण/आंशिक रूप स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
10. बोली में दर्शाये गये फर्नीचर की संख्या घटाई/बढाई जाने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
11. बोली के साथ दिये जाने वाले समस्त दस्तावेजों पूर्ण रूप से भरे जायेगे।
12. Financial bid evaluation will be made on the most advantageous bid basis (Total value evaluation).
13. बोली के साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार पूर्ण भरे हुऐ एवं आवश्यकता अनुसार समस्त दस्तावेज सलंग्न करें अन्यथा बोली खोलने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
14. अगर आपको कार्यादेश जारी किया जाता है तो कार्यादेश में वर्णित आपूर्ति अवधि में फर्निचर की आपूर्ति करावें। अगर किन्ही परिस्थितियों के दृष्टिगत आप समयावधि में आपूर्ति नहीं कर सकते है तो आपूर्ति अवधि समाप्त होने से पहले विभाग को लिखित में सूचित करेंगे अन्यथा संस्था द्वारा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपूर्ति अवधि बढाने के पश्चात् ही फर्निचर की आपूर्ति करावें।
15. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
16. निविदा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, अधिनियम 2012, GF & AR Rules, वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी SOP के सभी प्रावधान लागू रहेंगे।
17. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं द्वारा सेम्पल के साथ MSME अधिकृत टेस्टिंग स्टेशन से सेम्पल टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न करनी अनिवार्य होगी
18. बोलीदाता को राजस्थान के लघु उद्योगों में सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र मय जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यम सम्बन्धी ज्ञापन भाग –।। /उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जमा करवानी होगी।
19. बोलीदाता द्वारा संलग्न 1 व 2 शपथ पत्र ₹ 50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पर देना अनिवार्य होगाः
20. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) रहेगा।

वित्त नियंत्रक,
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर